संख्याः- 474 /I/2006-06(1)/18/2006

प्रेषकः-

डा0 एम0सी0 जोशी,
अपर सचिव,
उत्तरांचल शासन।

सेवा में,

अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,
उत्तरांचल एवं पावर कारपोरेशन लि.
देहरादून।

ऊर्जा विभाग,

देहरादूनः दिनांक 25 मार्च, 2006

विषयः- उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को ए0पी0डी0आर0पी0 कार्यों हेतु वित्तीय वर्ष 2005-2006 में वित्तीय स्वीकृति ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक-व्यय विभाग, नई दिल्ली के पत्र संख्या 7/29/2002-APDRP दिनांक 05.10.2005 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2005-06 में आयोजनागत मद में ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत कार्यों को पूर्ण करने हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 को अनुदान के लिये रू0 62,25,20,000.00 (रू0 बासठ करोड़ पच्चीस लाख बीस हजार मात्र) की धनराशि निम्नलिखित शर्तों के अधीन व्यय हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है।

1. यह धनराशि तभी आहरित एवं व्यय की जायेगी जब सम्पूर्ण धनराशि भारत सरकार से दि0 31.03.2006 से पूर्व अवमुक्त कर दी गई हो और इसकी पुष्टि में देयक कोषागार में प्रस्तुत करते समय भारत सरकार के सम्बन्धित आदेश की फोटो प्रति देयक के साथ लगायी जायेगी।
2. उक्त स्वीकृत धनराशि का उपयोग वित्तीय वर्ष 2005-2006 में भारत सरकार से ए0पी0डी0आर0पी0 योजनान्तर्गत स्वीकृत योजनाओं के विरुद्ध ही व्यय किया जायेगा एवं तत्सम्बन्धी योजनाओं की सूची शासन को तत्काल उपलब्ध करा दी जाय।
3. योजनाओं के संबंध में वित्तीय/भौतिक प्रगति नियमित रूप से शासन, वित्त विभाग, महालेखाकार एवं भारत सरकार को उपलब्ध कराई जायेगी तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र भी नियत प्रारूप में ऊर्जा मंत्रालय, भारत सरकार एवं शासन को समय प्रेषित किया जायेगा।
4. आवश्यक सामग्री का भुगतान संबंधित फर्म से प्राप्त सामग्री की जाँच के उपरान्त किया जायेगा तथा सामग्री की गुणवत्ता के लिये किसी राजपत्रित अधिकारी को अधिकृत किया जाये जो इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगे।
5. स्वीकृत धनराशि का अन्यत्र विचलन न किया जाये और व्यय उन्हीं मदों/योजनाओं पर किया जाये जिनके लिये यह स्वीकृत की जा रही है।
6. कार्य की गुणवत्ता एवं समयबद्धता हेतु उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि0 अधिकारी जिसके अधीन यह कार्य हो रहा है, पूर्ण रूप से उत्तरदायी होगा।

...2

7. स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय भारत सरकार से तद्विषयक दिशा-निर्देशों के अनुसार ही व्यय किया जायेगा।
8. व्यय करते समय बजट मैनुअल, स्टोर पर्चेज तथा वित्तीय हस्त पुस्तिका मितव्ययता के विषय में समय-समय पर निर्गत आदेशों का अनुपालन किया जाय।
9. उक्त स्वीकृत धनराशि का आहरण अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक, उत्तरांचल पावर कारपोरेशन लि० द्वारा अपने हस्ताक्षर से तैयार एवं जिलाधिकारी, देहरादून के प्रतिहस्ताक्षरित बिल कोषागार, देहरादून में प्रस्तुत कर किया जायेगा। कोषागार द्वारा यह धनराशि निगम के पी०एल०ए० खाते में जमा कर किया जायेगा। जहां से निगम आवश्यकतानुसार धनराशि का आहरण करेगा।
10. व्यय उन्हीं मदों में किया जायेगा, जिसके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है।
11. स्वीकृत धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2005-2006 के अनुदान सं० 21 के लेखाशीर्षक 2801-बिजली- 05-पारेषण एवं वितरण-आयोजनागत-190-सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य उपक्रमों में निवेश-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र पुरोनिधानित योजनायें 01-ए०पी०डी०पी० योजनान्तर्गत सहायता-20-सहायक अनुदान/अंशदान/राज सहायता के नामे डाला जाय।

2- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय सं० 489/XXVII-2/2006 दिनांक 23 मार्च, 2006 द्वारा प्राप्त उनकी सहमति से जारी किये जा रहे हैं।

भवदीय

/

(डॉ० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव

संख्या- 476 /I/2006-06(1)/18/2006,तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. प्रमुख सचिव, मुख्य मंत्री को मा० मुख्य मंत्री जी के संज्ञान में लाने हेतु।
2. निजी सचिव, ऊर्जा राज्य मंत्री, उत्तरांचल शासन को मा० राज्य मंत्री के संज्ञान में लाने हेतु।
3. महालेखाकार, उत्तरांचल, देहरादून।
4. जिलाधिकारी, देहरादून।
5. सचिव, उत्तरांचल विद्युत नियामक आयोग, उत्तरांचल।
6. वरिष्ठ कोषाधिकारी, देहरादून।
7. वित्त अनुभाग-2, उत्तरांचल शासन।
8. नियोजन विभाग, उत्तरांचल शासन।
9. एन०आई०सी०, सचिवालय परिसर, उत्तरांचल।
10. गार्ड फाईल।

(डॉ० एम०सी० जोशी)
अपर सचिव